रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org Email: info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत
राजकीय डूंगर महाविद्यालय परिसर, बीकानेर
(मो.) 9414452369, 9983007575

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 42569-571 **दिनांक:** 29/5/15

प्रतिष्ठार्थ,

उच्च शिक्षा मंत्रीजी,
राजस्थान सरकार,
जयपुर (राज.)

विषय : महाविद्यालय शिक्षकों को पे-बैंड-IV का लाभ प्रदान करने बाबत।

महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि :-

1. राज्य सरकार ने महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान आदेश क्रमांक - F.14(1)FD(Rules)2009 दिनांक 12-10-2009 के द्वारा दिया। इस आदेश के बिन्दु संख्या 20 में स्पष्ट लेख है कि महाविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. व अन्य लाभ मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश क्रं.-F.1-32/2006-U.II/U.I(i) दिनांक 31-12-2008 के अनुसार एवं समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अनुसार देय होगा।
2. मानव संसाधन मंत्रालय के दिनांक 31-12-2008 के आदेश तथा दिनांक 30-6-2010 को प्रसारित U.G.C. Regulation 2010 में महाविद्यालय शिक्षकों को चयनित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण करने पर पे-बैंड-IV तथा अकादमी ग्रेड 9000 का लाभ देने का प्रावधान है। इन्हीं आदेशों के क्रम में मानव संसाधन मंत्रालय ने पत्र क्रं. 1.36/2009-UII दिनांक 26-8-2010 के द्वारा 1-1-2006 से 30-6-2010 के मध्य चयनित वेतनमान में पदोन्नत शिक्षकों को जब भी वे चयनित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण करें उन्हें (अर्थात् 1-1-2009 से 30-6-2013 के मध्य) पे-बैंड-IV व अकादमिक ग्रेड 9000 का लाभ प्रदान करने का आदेश प्रसारित किया। जिसकी पालना में राज्य सरकार ने भी आदेश क्रं. एफ1 ( ) स्था/आकाशि/11/114 दिनांक 21-4-2011 के द्वारा 1-1-2006 से 30-6-2010 के मध्य चयनित वेतनमान में पदोन्नत शिक्षकों को जब भी वे चयनित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण करें उन्हें पे-बैंड-IV व अकादमिक ग्रेड 9000 का लाभ प्रदान करने का आदेश प्रसारित किया। निदेशालय द्वारा उक्त लाभ प्राचार्य स्तर पर ही देने के भी निर्देश जारी किए गये।
3. उक्त आदेश की पालना में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में 31-12-2011 तक जिन व्याख्याताओं के पे-बैंड-IV ड्यू हुए उन्हें प्राचार्य स्तर पर ही स्वीकृत किया गया है। निदेशक कॉलेज शिक्षा ने आदेश क्रं. एफ 1 (23) पी एस/निकाशि/10/पार्ट/874 दिनांक 27-5-2013 के द्वारा सी.ए.एस. के तहत पे-बैंड-IV का लाभ महाविद्यालय स्तर पर स्वीकृत न कर प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित करने के आदेश जारी किए जो कि स्पष्टतः मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 26-8-2010 तथा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21-4-2010 के विरोधभासी है।

   चूंकि मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र में दिनांक 30-6-2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत महाविद्यालय शिक्षकों को 3 वर्ष पूर्ण करते ही पे-बैंड-IV का लाभ बिना किसी संवीक्षा के देने के

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : वेराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत
राजकीय डूंगर महाविद्यालय परिसर, बीकानेर
(मो.) 9414452369, 9983007575

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: ....

स्पष्ट आदेश है तथा इसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी वित्त विभाग की स्वीकृति -ID संख्या 221001664 दि0 24-12-2010 द्वारा प्राप्त कर आदेश प्रसारित किया है। अतः 30-6-2013 तक जिन महाविद्यालय शिक्षकों को पे-बैंड-IV का लाभ ड्यू हो रहा है उन्हें प्राचार्य/आयुक्तालय स्तर पर बिना किसी संवीक्षा के ही दिया जाना चाहिए।

4. सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित तथा पे-बैंड-IV का लाभ देने हेतु नवीन प्रक्रिया (ए.पी.आई. अंक आदि) U.G.C. Regulation 2010 में जारी किए गए थे। सी.ए.एस. हेतु नियम Prospective होते हैं न कि Retrospective। इसी कारण देश के अनेक राज्य सरकारों द्वारा सी.ए.एस. के नए नियम उन राज्यों में नियम प्रकाशन की तिथि से ही लागू किए गए है। राजस्थान में सी.ए.एस. के नए नियमों का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं हुआ है तथा न ही इन्हें महाविद्यालय प्राचार्यो/शिक्षकों को जानकारी हेतु प्रेषित किया गया है। ऐसे में नियमों के प्रकाशन एवं शिक्षकों की जानकारी में लाए बिना नए नियम लगाना न्याय संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपसे आग्रह है कि -

(i) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21-4-2011 के अनुरूप ही 30-6-2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत शिक्षकों को उनके चयनित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण करते ही पे-बैंड-IV व अकादमिक ग्रेड 9000 का लाभ महाविद्यालय/आयुक्तालय स्तर पर बिना किसी संवीक्षा के देने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(ii) जब तक सी.ए.एस. के नए नियम शिक्षकों के जानकारी हेतु प्रसारित नहीं किए जाते हैं तब तक महाविद्यालय शिक्षकों के ड्यू सी.ए.एस. का लाभ पुराने नियमों से देने के आदेश भी प्रसारित कर अनुग्रहित करें।

साभार।

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)